Himachal Pradesh Public Works Department

PW(R)-Rope way/WS/2014 From

Dated 6/9/16

Engineer-in-Chief, HP.PWD, Nirman Bhawan, Nigam Vihar Shimla

To

The Assistant Engineer(IT), HP.PWD, Shimla-2

Subject:

Himachal Pradesh Aerial Ropeway(Amendment) Act,2015.

I have been directed to enclose photocopy of letter No. PBW (B)8(3)1/1998 dated 27.08.2016 alongwith its enclosures received from the Additional Chief Secretary (PW) to the Govt. of Himachal Pradesh on the subject cited matter and request you to upload the same on HPPWD website please.

Encl: As above.

Superintending Engineer (Works) HP.PWD, Nirman Bhawan,

Nigam Vihar Shimla

1.0.00.00.) No.000.00.) No.000.00.) Marcel Sn. Suncel

No.PBW(B)8(3) 1/1998 2 Government of Himachal Pradesh Department of Public Works

Engineer (Works)....The Addl. Chief Secretary(PW) to the

Govt. of Himachal Pradesh

The Addl. Chief Secretary(Tourism & CA) to the Govt. of Himachal Pradesh

Dated Shimla-2 the

th August, 2016

Himachal Pradesh Aerial Ropeway (Amendment) Act, 2015. Subject:-

Sir,

In continuation of this department letter of even No. dated 17-11-2015, I am directed to enclose herewith the photocopy of Act No. 4 of 2016 as published in Gazette Himachal Pradesh on 16-May, 2016 (downloaded from e-Gazette) on the subject cited above for your information and necessary action.

Yours faithfully,

(K.R. Saizal)

Deputy Secretary(PW) to the Govt. of Himachal Pradesh

Endst. No. as above dated Shimla-2

27-08-2016 Copy to following alongwith request to download the copy of HP Aerial

Ropeway(Amendment) Act, 2015, f Act No. 4 of 2016 as published on 16-05-2016 and update the act with amendment upto date and same be uploaded in

department official website:-

1. The Engineer-in-Chief, HPPWD Nigam Vihar, Shimla-2. 2. The Chief, Engineer(SZ), HPPWD Nigam vihar, Shimla-2.

3. The Superintending Engineer(Mechanical), HPPWD Mechanical Wing, Dhalli,

Shimla-171012.

(K.R. Saizal)

Deputy Secretary(PW) to the Govt. of Himachal Pradesh

29.50

"20—ख. बीमा रक्षण.—(1) किसी दुर्घटना या अनिष्ट की दशा में संप्रवर्तक, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं की आकाशी रज्जु मार्ग सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियाँ को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विस्तृत बीमा रक्षण प्रदान करेगा:

परन्तु राज्य सरकार ऐसी रज्जु मार्ग परियोजनाओं में हुई किसी दुर्घटना या अनिष्ट की बाबत किसी दावे के लिए दायी नहीं होगी।

- (2) विस्तृत बीमा की दर विशेषज्ञ समिति के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।"।
- 7. धारा 30 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 30 में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग 7 के उपबंधों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक भूमि अर्जन अधिनियम में यथा परिभार्षित कम्पनी हो या न हो" श्रन्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक स्वरंत अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो" शब्द, चिन्ह और अंक्र रखे जाएंगे।
- 8. ² 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतद्रद्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निर्मन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:--

- 1. Short title and commencement.--(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 2015.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on 10th day of November, 2015.
- 2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (k),—

- (a) in sub-clause(iv), for the figures "1956", the figures "2013" shall be substituted.; and
- (b) in sub-clause(v), for the words, figures and signs "Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890)", the words figures and signs "Railways Act, 1989 (24 of 1989)" shall be substituted.
- 3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, for the words, figures and signs "of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)", the words, figures and signs "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)" shall be substituted.
- 4. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xiii-a) the minimum headway of 10 meters between the rooftop of the houses or buildings and base of the cabin, in the case of ropeway projects to be build under Public Private Partnership (PPP) mode;".

- 5. Insertion of new section 18-A.--After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--
 - "18-A. Fixation of fare rates of Public Private Partnership and Built Operate and Transfer Ropeway Projects.- (1) The State Government, on the recommendations of the Expert Committee, shall fix and notify the maximum limit of the fare rates for the Ropeway Projects build under Public Private Partnership (PPP) and Built Operate and Transfer (BOT) mode.
 - (2) Every application made under this section for fixation of fare rates shall be decided within a period of 90 days from the date of receipt of such application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for fixation of fare rates."
- 6. Insertion of new section 20-B.--After section 20-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--
- "20-B. Insurance cover.- (1) In case of any accident or mishap, the promoter shall provide comprehensive insurance cover, in the manner as may be prescribed, to the persons availing aerial ropeway services of the Ropeway Projects built under Public Private Partnership(PPP) or Built Operate and Transfer (BOT) mode:

Provided that the State Government shall not be liable for any claim on account of any accident or mishap in such Ropeway Projects.

- (2) The rate of comprehensive insurance shall be decided by the State Government on the advice of the Expert Committee.".
- 7. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for the words, figures and signs "Part VII of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), whether the said promoter is or is not a company as defined in the Land Acquisition Act", the words, figures and signs "the Right to Fare Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) whether the said promoter is or is not a company as defined in the said Act" shall be substituted.

- 8. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2015 and savings.--(1)The Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 मई, 2016

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—12/2016—लेज.—हिमाचूर्ल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07—05—2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1'1) का वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, (डा० बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि) ।

2016 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विषेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख ७ मई, २०१६ को यथाअनुमोदित्र)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेष्प्रधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के क्रिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सङ्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

- 1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचूल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2016 है ।
- 2. धारा ७ का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (200७ का/1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा ७ में, ''चालीस'' और ''पैंतीस'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''पैंसठ'' और ''साठ'' शब्द रखे जाएंगे।
- 3. धारा 8 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा (8) की उपधारा (3) में, "उसके वेतन के दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ रूपए प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे।

2016 का अधिनियम संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 3 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :--

- 1. , संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आंकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
 - (2) यह 10 नवम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- 2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) में,—
 - (क) उप खण्ड (4) में, "1956" अंकों के स्थान पर "2013" अंक रखे जाएंगे; और
 - (ख) उप खण्ड (5) में, ''भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9)'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान 'पर ''रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।
- 3. धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 5 में, "भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1)" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।
- 4. धारा 6 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के खण्ड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(xiii-क) लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अधीन निर्मित की जाने वाली रज्जुमार्ग परियोजनाओं की दशा में, मकानों या भवनों के छत शिखर और केबिन के आधार के बीच न्यूनतम 10 मीटर का हेडवे;''।
- 5. नई धारा 18—क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - "18—क. लोक निजी भागीदारी तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो रज्जु मार्ग परियोजनाओं की भाड़ा दरों (फेंअॅर रेटस) का नियतन.—(1) राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओं और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं के लिए भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) की अधिकतम सीमा नियत और अधिसूचित करेगी।
 - (2) इस धारा के अधीन भाड़ा दरों (फेॲर रेटस) के नियतन के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विनिष्टिचत किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को भाड़ा दरों (फेॲर रेटस) के नियतन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।"।
- 6. नई धारा 20—ख का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 20—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"20—ख. बीमा रक्षण.—(1) किसी दुर्घटना या अनिष्ट की दशा में संप्रवर्तक, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं की आकाशी रज्जु मार्ग सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विस्तृत बीमा रक्षण प्रदान करेगा :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी रज्जु मार्ग परियोजनाओं में हुई किसी दुर्घटना या अनिष्ट की बाबत किसी दावे के लिए दायी नहीं होगी।

- (2) विस्तृत बीमा की दर विशेषज्ञ समिति के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।"।
- 7. धारा 30 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 30 में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग 7 के उपबंधों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक भूमि अर्जन अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।
- 8. **2015 के हिमाचल प्रदेश** अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐरो निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:--

- 1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 2015.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on 10th day of November, 2015.
- 2. Amendment of section 2.--In section 2 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (k),-

- (a) in sub-clause(iv), for the figures "1956", the figures "2013" shall be substituted.; and
- (b) in sub-clause(v), for the words, figures and signs "Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890)", the words figures and signs "Railways Act, 1989 (24 of 1989)" shall be substituted.
- 3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, for the words, figures and signs "of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)", the words, figures and signs "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)" shall be substituted.
- 4. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(xiii-a) the minimum headway of 10 meters between the rooftop of the houses or buildings and base of the cabin, in the case of ropeway projects to be build under Public Private Partnership (PPP) mode;".
- 5. Insertion of new section 18-A.--After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--
 - "18-A. Fixation of fare rates of Public Private Partnership and Built Operate and Transfer Ropeway Projects.- (1) The State Government, on the recommendations of the Expert Committee, shall fix and notify the maximum limit of the fare rates for the Ropeway Projects build under Public Private Partnership (PPP) and Built Operate and Transfer (BOT) mode.
 - (2) Every application made under this section for fixation of fare rates shall be decided within a period of 90 days from the date of receipt of such application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for fixation of fare rates."
- 6. Insertion of new section 20-B.--After section 20-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--
- "20-B. Insurance cover.- (1) In case of any accident or mishap, the promoter shall provide comprehensive insurance cover, in the manner as may be prescribed, to the persons availing aerial ropeway services of the Ropeway Projects built under Public Private Partnership(PPP) or Built Operate and Transfer (BOT) mode: *

Provided that the State Government shall not be liable for any claim on account of any accident or mishap in such Ropeway Projects.

- (2) The rate of comprehensive insurance shall be decided by the State Government on the advice of the Expert Committee.".
- 7. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for the words, figures and signs "Part VII of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), whether the said promoter is or is not a company as defined in the Land Acquisition Act", the words, figures and signs "the Right to Fare Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) whether the said promoter is or is not a company as defined in the said Act" shall be substituted.

- 8. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2015 and savings.--(1)The Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला--2, 10 मई, 2016

संख्या एल०एल०आए०—डी०(६)—12/2016—लेज.—हिमायल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 67—05—2016 को अनुमोदित हिमायल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शवित्या, विशेषधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11) का वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक र के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमायल प्रदेश ई—ग्रजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, (डा० बलदेव सिंह), भाग सचिव (विधि) ।

2016 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुवित, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विवेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा ताग्रीख 7 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुद्धित, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन कुरने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह